

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
टासीन अधिकारी:—श्री जगदीश प्रसाद बैरवा, आर.ए.एस.

फ़दमा संख्या:—133/2018 प्रार्थना पत्र

मति चन्द्रकला पत्नि शिवदयाल धाकड़, उम्र बालिग निवासी 2-जी.18, आर.सी.व्यास कॉलोनी,
लवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

—प्रार्थीया

बनाम

—श्रीमति मीना देवी पत्नि दीपक बिड़ला, उम्र बालिग निवासी मेन सैक्टर मकान नं. 5, शास्त्रीनगर,
लवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

—श्री देबीलाल पिता हीरालाल जाट, उम्र बालिग निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा

—श्री श्यामलाल पिता हीरालाल जाट, उम्र बालिग निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा

—श्रीमति सोसर पत्नि हीरालाल जाट, उम्र बालिग निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा

—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:—28.6.2018

प्रार्थीया की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 607/2 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 1308/607 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी वेवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीया अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के प्रादेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.5.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 607/2 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 1308/607 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सुवाणा को 300/-रूपये (अक्षर:—तीन सौ रूपये मात्र.) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:—तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने परनियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा